desertification, taken up on micro-watershedlindex catchment approach. Sectoral weightages in expenditure have been prescribed for this purpose and schemes which can be instrumental in achieving these objectives only are now permitted to be taken up under the programme. Government have also set up a National Committee unde, the chairmanship of Dr. y. K. Alagh Member, Planning Commission which, among other things, would carry out an appraisal of this programme. Changes, if any, in the programme would be introduced after receipt of the report of the Committee.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यक्रम हेतु संस्थाओं के लिये मंजूर की गई अनुदान राशि

491. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम, पते तथा अन्य ब्यौरा क्या-क्या हैं, जिन्हें कल्याण मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों हेतु अनुदान राशि प्रदान की गयी है तथा ऐसी प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये लाभ प्राप्त हुआ है तथा ऐसे व्यक्तियों के कार्यक्रम-वार नाम और पते तथा अन्य ब्यौरे क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या इन संस्थाओं के पदधारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति औरांव) : (क) सूचना अनुबन्ध में दी गयी हैं। [देखिए परिशिष्ट 150, अनुबन्ध सं० 20]

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या तथा उनके पते के बारे में कार्यक्रम-वार सूचना रखी नहीं गयी है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये प्रचार, बंधुआ मुक्ति कार्य, औषधालयों, मातृत्व तथा बाल कल्याण केन्द्रों, अस्पतालों, उपकेन्द्रों, समाज सेवा केन्द्रों, होस्टलों तथा आवासीय स्कूल शामिल हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं होते हैं। इन व्यक्तियों के नाम और पते के संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संस्थाओं के लिये मंजूर की गई अनुदान राशि

492. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान, संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्रदान की गयी अनुदान राशि का क्रमवार ब्यौरा क्या है तथा उन संस्थाओं के नाम और पते क्या-क्या हैं और प्रत्येक को कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गयी है;

(ख) उपयुक्त संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों के नाम और पते क्या-क्या हैं तथा उनमें क्रमशः कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उन संस्थाओं के लाभभोगियों के नाम और पते क्या-क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति औरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ?